भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

12.04.2017 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 6222

परमाणु सामग्री की तस्करी

6222. श्री अभिषेक सिंह:
श्री अनिल शिरोले:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्वीकृत, आबंटित और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परमाणु सामग्री की तस्करी के मामले हाल के वर्षों में सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रचालनरत बिजलीघर को आबंटित निधि तथा किए गए व्यय (करोड़ रू. में) का विवरण निम्नानुसार है:

परमाणु बिजलीघर	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	आबंटन (संशोधित प्राक्कलन)	व्यय	आबंटन (संशोधित प्राक्कलन)	व्यय	आबंटन (संशोधित प्राक्कलन)	व्यय	आबंटन (संशोधित प्राक्कलन)	व्यय (फरवरी 2017 तक)
टीएपीएस 1 तथा 2	9.00	6.55	20.00	2.63	20.00	2.04	20.00	6.71
टीएपीएस 3 तथा 4	20.00	20.74	30.00	11.08	20.00	7.70	30.00	9.95
आरएपीएस 2-6	30.00	28.04	42.00	19.98	58.00	16.02	45.00	10.85
एमएपीएस	21.00	31.79	35.00	12.28	27.00	17.65	25.00	5.92
एनएपीएस	8.00	7.20	15.00	10.84	26.00	17.97	25.00	11.76
केएपीएस	15.00	12.49	18.00	12.83	19.00	7.63	25.00	19.02
केजीएस 1-4	15.00	19.40	40.00	8.43	30.00	9.92	30.00	11.16

(ख) जी, हाँ। परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की एक संघटक यूनिट, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (पखनि) को एक बेनाम पत्र के माध्यम से बेरिल के अवैध निर्यात की जानकारी प्राप्त हुई थी।

(ग) तथा (घ) तथ्यों की जांच करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इसकी सूचना केन्द्रीय आसूचना एजेंसी (आईबी) को दी गई थी। केन्द्रीय एजेंसी द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद, राजस्थान पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसने मामले के संबंध में बाद में अपराधिक आसूचना एकत्र करना आरंभ किया। क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्र, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जयपुर की लिखित शिकायत पर पुलिस अधीक्षक (एसपी), आतंक विरोधी दस्ता (एटीएस), राजस्थान पुलिस, जयपुर द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 14/24 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण (पीडीपीपी) अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई। जांच के दौरान, राजस्थान पुलिस के आतंक विरोधी दस्ते ने नौ आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें से लोक अभियोजक ने, छः आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

****